रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2010/फाल्गुन 12/1931
No. 444] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2010/PHALGUNA 12, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2010

का.आ. 527(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (प) के प्रावधान विशेष आर्थिक जोनों पर लागू नहीं होंगे, जहां तक वे बैंकों, जो अपतटीय बैंकिंग इकाईयों के रूप में अनुज्ञापित नहीं है, द्वारा (i) विशेष आर्थिक जोनों में ऑफ साइट स्वचालित गणक मशीनों एवं (ii) शाखाओं की स्थापना से संबंधित हों ।

[फा. सं. सी. 3/9/2008-एसईजेड]

टी. श्रीनिधि, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2010

S.O. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 49 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby declares that the provisions of clause (u) of Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005, would not apply to Special Economic Zones in so far as they relate to setting up of (i) offsite Automated Teller Machines in the Special Economic Zones, and (ii) branches in Special Economic Zones by Banks, not licensed as Offshore Banking Units; with the prior permission of the Reserve Bank of India under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

[F. No. C. 3/9/2008-SEZ]

T. SRINIDHI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2010

का.आ. 528(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 49 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह अधिसूचित करती है कि विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 14 के खण्ड (ख) के प्रावधान, निम्नलिखित संशोधन के अध्यधीन, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित सभी आर्थिक जोनों पर लागू होंगे, अर्थात् :-

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 14 के खण्ड (ख) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता, ऐसे विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किए जाने की तारीख से, इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारी माना जाएगा ।"

[फा. सं. डी. 6/12/2009-एसईजेड]

टी. श्रीनिधि, निदेशक